मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग,
मंत्रालय,

क्रमांक एफ 3–17/2016/18–5 भोपाल दिनांक 28/9/2016

प्रति,

1. कलेक्टर,
जिला–बैतूल

2. सहायक संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय,
बैतूल ।

3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत बैतूल

4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद बैतूल ।

विषय :–बैतूल विकास योजना 2021 में उपांतरण बाबत्।

राज्य शासन ने बैतूल विकास 2021 में उपांतरण का निर्णय लिया है जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कराकर विभाग को सूचित कराने का कष्ट करें।

संलग्न :– यथोपरि

130/TC
03/10/16

(सुप्रिया पेंडके)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
28/9/2016

पृ0क्र0–एफ 3–17/2016/18–5 भोपाल दिनांक 28/9/2016

प्रतिलिपि :–

आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय, भोपाल को संचालनालय की वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
28/9/2016

संचालनालय
नगर तथा ग्राम निवेश
आवक क्र. 1344
दिनांक 01/10/16
शाखा TC (N)
आयुक्त

DD TC
05/10/16
05.10.16
website पर
प्रकाशन करावें

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय

विकास योजना में उपांतरण हेतु सूचना

भोपाल, दिनांक 28-9-2016

क्रमांक–एफ–3–17/2016/18–5 :: मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक–1 सन् 2012), की धारा 23–क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट बैतूल विकास योजना 2021 में उपांतरण प्रस्तावित करती है।

अनुसूची

क्र.	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	विकास योजना में निर्दिष्ट भू–उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू–उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	ग्राम मौजा टेमनी	19	53.852 हेक्टेयर में से 2.00 हेक्टेयर	कृषि	आवासीय शर्तें:– 1.भूमि का आवंटन आश्रय योजना हेतु किया गया है । अतः भूमि जिस प्रयोजन हेतु आवंटित की गई है, उससे भिन्न उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। 2.प्रश्नाधीन भूमि कोसमी जलाशय के समीप है, अतः प्रश्नाधीन भूमि पर दूषित जल के उपचार हेतु सीवेंज ट्रीटमेन्ट प्लांट की स्थापना की जाना अनिवार्य होगा। परिसर से उत्पन्न होने वाले दूषित जल के प्रवाह की व्यवस्था जलाशय की विपरित दिशा में ही करना अनिवार्य होगा ।
		योग–	2.00 हे0		

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय बैतूल तथा www.mptownplan.nic.in वेबसाईट पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध होंगे।प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हों तो वह अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियां या सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हों, पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(सी के साधव)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

Government of Madhya Pradesh
Urban Development And Housing Department
MANTRALAYA

Notice

Bhopal, Dated 28/9 /2016

No.F-3-58/2016/18-5 :: In exercise of the Powers Conferred by Clause (a) of Sub section (1) of section 23-A of The Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, (Sanshodhit) 1973 (No.1 of 2012), The State Government hereby notify the proposal of following modifications for public information, in the Betul Development Plan, 2021 as specified in the schedule hereunder, namely :-

SCHEDULE

No.	**Village**	**Khasara No.**	**Area (In Hec.)**	**Land use specified in the development plan**	**Modified land use after modifications**
1	2	3	4	5	6
1.	Gram-Moja Temni	19	2.00 hec. out of 53.852 hec.	Agriculture	Residential **Conditions** :- 1. The land has been alloted for Atal Ashraya Scheme, so the use other than the purpose for which it has been alloted shall be prohibited. 2. The land in question is located near Kosmi water body, hence it will be mandatory to establish sewage treatment plant for treatment of waste water generated. It will be mandatory to ensure the flow of waste water opposite to the direction of dam.
		Total	**2.00 Hec.**		

Details of The Proposed modifications shall be available for inspection to the public in the office of Deputy Director, Town and Country Planning, Betul as well as on the web site. www.mptownplan.nic.in for a period of 15 days from the date of publication of this notice.

Any objection/suggestions may be furnished in writing within 15 days from the date of publication of this notice in the daily news papers to the Under Secretary, Government of Madhya Pradesh, Urban Development and Housing Department, Mantralaya, Bhopal. Objections and Suggestions received before the expiry of the period specified above may be considered by the State Government.

By order and in the name of the
Governor Of Madhya Pradesh,

(C.K.Sadhav)
Deputy Secretary
Government of Madhya Pradesh
Urban Developement And
Housing Department